न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 25/2020 आवन्टन निरस्त

इशाक मोहम्मद पुत्र हफीज मोहम्मद (मुस्लमान) निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

बनाम

1. रामलाल रेगर पुत्र मांगू रेगर निवासी पारोली तहसील कोटडी
2. तहसीलदार कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. श्री अभिमन्यु जोशी – प्रार्थी की ओर से
2. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम पारोली पटवार हल्का पारोली तहसील कोटडी की आराजी संख्या 687 मि. के कृषि भूमि हेतु आवंटन बाबत् रामलाल पुत्र मांगू रेगर निवासी पारोली ने तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ तहसील कोटडी के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 30–6–2000 को प्रस्तुत किया। जिसके नम्बर 5/2000 आवंटन नियत हुए और दिनांक 30–6–2000 को ही रामलाल पुत्र मांगू रेगर निवासी पारोली को ग्राम पारोली की आराजी संख्या 687 मि. में 3 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के आदेश हुए। आराजी संख्या 687 मि. आवंटित होने के पश्चात् कभी भी विपक्षी का कब्जा उपयोग उपभोग नही रहा और न ही आवंटन के पश्चात् विपक्षी रामलाल ने कब्जा प्राप्त किया और न ही विपक्षी रामलाल ने कभी कृषि कार्य किया। चूंकि रामलाल को भूमि कृषि हेतु आवंटित हुई थी और रामलाल द्वारा आवंटन वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक एक भी वर्ष कृषि नही की है। इस कारण कृषि प्रयोजनार्थ जो भूमि आवंटित हुई है उसका प्रयोजन ही निष्फल हो गया है और कभी भी 20 वर्षो में आवंटन के पश्चात् कृषि न करने से विपक्षी रामलाल को हुआ आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। आवंटन आदेश की शर्त संख्या 7 (3) के अनुसार आवंटिती का आवंटन 1 वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत में दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भूमि काश्त करनी होगी। जबकि विपक्षी रामलाल ने आवंटन 2000 में हो जाने के पश्चात् कभी भी काश्त नही की है और आवंटन आदेश की

विपक्षी रामलाल ने न तो कब्जा लिया और न ही कृषि कार्य किया है। राजस्व मानचित्र/नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की आराजी संख्या 687/1, 687/9 तथा 698/4 के समीप उत्तर पश्चिमी दिशा में आराजी संख्या 687/2 स्थित है। वर्ष 2004, 2011, 2014, 2016, 2019 व 2020 के नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के उत्तर पश्चिमी दिशा में आराजी संख्या 687/2 अंकित है। विपक्षी ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर एवं फर्जीवाडा करते हुए प्रार्थी की आराजी संख्या के समीप स्थित 687/2 को 687/8 नक्शा ट्रेस में अंकित कर दिया है। जबकि प्रार्थी की आराजी के समीप 687/8 किसी भी वर्ष स्थित नही रहा। इस प्रकार विपक्षी रामलाल द्वारा सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में भी राजस्व अधिकारियो से मिलकर हेरफेर/फर्जीवाड़ा किया है। इस आधार पर आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी ने आकर जुलाई 2020 को प्रार्थी की जायदाद में लडाई झगडा किया। झूठे झूठे केसो में फंसाने की धमकी दी जिस पर प्रार्थी ने दस्तावेज एवं प्रार्थी को हुए आवंटन की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने बाबत् आवेदन दिया और दिनांक 10/8/2020 को विपक्षी को हुए आवंटन की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई। हालांकि नियमो मे ऐसा प्रार्थना पत्र पेश करने के लिये कोई निश्चित परिसीमा अवधि विहित नहीं है। इन परिस्थितियों में नकले मिलने की जानकारी अर्थात दिनांक 10/8/2020 से यह प्रार्थना पत्र एक माह की अवधि में यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 को हुए आंवटन ग्राम पारोली की आरजी संख्या 687 मि. 3 बीघा आदेश दिनांक 30–06–2020 व तत्सम्बंधी पश्चातवर्ती कार्यवाही व आदेश खारिज फरमाए जावे।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता की ओर से जवाब मय प्रारम्भिक आपत्ती प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस मे आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुये बताया कि ग्राम पारोली तहसील कोटडी में विपक्षी संख्या 01 को प्रश्नगत आराजी पर आवंटन वर्ष 2000 में 3.00 बीघा भूमि का आवंटन हो जाने के पश्चात् दिनांक 29–11–2007 को नामान्तरण संख्या 4436 खसरा संख्या 687/8 रकबा 3 बीघा बाबत् खोलते हुए गैर खातेदार विपक्षी रामलाल को दर्ज

अति. जिला कलक्टर

कारण भी भूमि आवंटन के लिये खाली ही मानी जायेगी। यह गलत हैं कि आवंटनशुदा भूमि को राजस्व नक्शा में तरमीम नहीं किया गया। विपक्षी सं0 01 को मौके पर नाप कर आवंटनशुदा भूमि का कब्जा पटवार हल्का द्वारा आदेशानुसार सिपूर्द किया गया हैं। विधि का यह सिद्धान्त हैं कि आवंटन के बाद आवंटन सलाहाकार समिति के आवंटन आदेश के बाद छोटी छोटी क्लेरिकल मिस्टेक के आधार पर 20 वर्ष की असामान्य अवधि के बाद आवंटन निरस्त नहीं होगा। बाद आवंटन से ही विपक्षी सं0 01 द्वारा आवंटनशुदा सम्पूर्ण भूमि पर काश्त की जा रही हैं। प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आराजी व आवंटनशुदा आराजी अलग–अलग हैं तथा आवंटनशुदा आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं हैं। तथा यह गलत हैं कि मौके पर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आराजी के साथ आवंटनशुदा आराजी का मिलाया जा कर 16–17 बीघा का एक ही चक होकर प्रार्थी द्वारा तारबंदी कर रखी हों। आवंटन से पूर्व यदि प्रार्थी का कोई कब्जा रहा हो तो उसकी हैसियत मात्र अतिक्रमी की रही हैं और अतिकमी द्वारा किये गये अतिक्रमण के कारण आवंटी को आवंटन करने में कानूनन कोई बाधा नहीं हैं। ऐसी भूमि को अन ओक्यूपायी भूमि ही माना गया हैं। अतिक्रमी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। तथा वर्तमान में प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त आवंटनशुदा भूमि पर नहीं हैं। आवंटन के बाद से ही आवंटनरुदा भूमि पर आवंटी विपक्षी का कब्जा काश्त कायम हो चला आ रहा हैं। विपक्षी को किया गया आवंटन मजमेआम में किया गया जिससे प्रार्थी को आवंटन की पूर्ण जानकारी प्रार्थी को बखूबी हैं। तथा आवंटन के बाद से ही आवंटी का कब्जा काश्त कायम होने से प्रार्थी को आवंटन की पूर्ण जानकारी हैं। आवंटी विपक्षी के अलावा इसी दिन अन्य कई व्यक्तियों को आवंटन किया गया। और सभी द्वारा आवंटन के बाद से मुताबिक आवंटन पैमूद होने से कब्जा काश्त निरन्तर व अबाध्य तौर आवंटीयों का चला आ रहा है। यह गलत है कि प्रार्थी को विपक्षी के आवंटन होने की जानकारी माह जुलाई वर्ष 2018 में हुई हों। प्रार्थी ने कोई दिनांक भी वर्णित नही की है, उसे किस प्रकार व किस तिथी मिति को आवंटन की जानकारी हुई। इससे यही साबित होता है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र द्वेषतावश गलत तथ्य वर्णित कर प्रस्तुत किया गया है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा विधि अनुसार विपक्षी आवंटन की पात्रता रखने से विधि अनुसार आवंटन हेतू उद्घोषित आराजी में से मजमेआम में आवंटन किया गया हैं। प्रार्थना पत्र काफी देरीना 20–22 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया हैं। अर्थात उक्त लम्बी समयावधि को युक्तियुक्त

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

समयावधि नहीं कहा जा सकता हैं तथा इसी आशय का एक प्रार्थना पत्र कनीराम धाकड़ द्वारा भी प्रस्तुत किया गया हैं जिसके प्रकरण सं० 17/2018 आ० नि० हेतू इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। एक ही भूमि पर दो अन्य व्यक्तियों का आवंटनशुदा भूमि पर होना बताया जा कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमाया जायें।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि पटवार हल्का पारोली की तहसीलदार कोटडी को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 22.10.2021 अनुसार आवंटी रामलाल रेगर पिता मांगू रेगर निवासी पारोली को दिनांक 30.06.2000 को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम पारोली की आराजी नंबर 687 में से 3.00 बीघा भूमि आवंटन हुयी। आवंटन आदेश संख्या 05/2000 से नामान्तरकरण संख्या 4436 दिनांक 29.11.2007 से रामलाल पिता मांगू रेगर सा.देह गैर खातेदार रकबा 3.00 बीघा रिकार्ड में दर्ज किया गया। एवं उसी कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 05/2000 से दोबारा ग्राम पारोली की नामान्तरकरण संख्या 4823 दिनांक 19.12.2010 से रामलाल पिता मांगू रेगर सा.देह गेर खातेदार के नाम ग्राम पारोली की आराजी नं. 687/12 रकबा 3.00 बीघा भूमि दर्ज कर दी गयी। दोनों खाते वर्तमान में भी गेर खातेदारी हक से रामलाल रेगर के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त आंवटी को एक ही आवंटन आदेश से 3 – 3 बीघा भूमि दो बार दर्ज कर नामान्तरकरण आदेश पारित किये गये हैं।

हाल ऑफिस कानूनगो तहसील कोटडी के बयान दिनांक 24.05.2023 के परीक्षण से जाहिर आया कि आवंटी रामलाल रेगर को आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 05/2000 से ग्राम पारोली के आराजी नं. 687 मि. में से रकबा 3.00 बीघा भूमि आवंटित हुयी जिसका नामान्तरकरण तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4436 दर्ज किया गया जो बाद जांच तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.11.2007 को स्वीकृत किया गया। तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा पुनः उक्त आवंटन आदेश संख्या 05/2000 की फोटोप्रति के आधार पर ग्राम पारोली में ही एक अन्य नामान्तरकरण संख्या 4823 रकबा 3.00 बीघा भूमि आवंटी रामलाल रेगर के ही खाते में गैर खातेदार हक से दिनांक 19.12.2010 को दर्ज कर दी गयी। अर्थात तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा एक ही आवंटन आदेश 05/2000 से नामान्तरकरण संख्या 4436 एवं 4823 दर्ज किया गया जिसमे पूर्व में

पारित नामान्तरकरण संख्या 4436 में मूल आवंटन आदेश एवं पश्चातवृत्ति नामान्तन्तरकरण संख्या 4823 में आवंटन आदेश की फोटोप्रति संलग्न हैं।

अतः उक्त दोनों रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर होता हैं कि तत्कालीन पटवार हल्का ने एक ही आवंटन आदेश संख्या 05/2000 से आवंटन रामलाल रेगर के नाम दो अलग – अलग वर्ष 2007 एवं वर्ष 2010 में 3–3 बीघा भूमि को दो अलग–अलग नामान्तरकरण 4436 व 4823 से दर्ज कर दी गयी जो पूर्णतया विधि विपरीत है।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने दोराने बहस बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रकरण के संबंध में इसी आशय का एक प्रार्थना पत्र कनीराम धाकड द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 17/2018 होकर निर्णित किया गया हैं। जिससे रेस ज्यूडिकेटा के आधार पर यह प्रकरण खारिज योग्य ठहरता हैं।

विपक्षी संख्या 01 के उक्त कथन पर न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 17/2018 निर्णय दिनांक 06.04.2022 को तलब कर उसका गहनता से परीक्षण किया गया, जिससे जाहिर आया कि तत्समय प्रकरण में किसी प्रकार का कोई नामान्तरकरण पत्रावली पर पेश नही किया हुआ था जिससे स्पष्ट हो सके कि, विपक्षी संख्या 01 के नाम एक ही आवंटन आदेश 05/2000 से दो बार नामान्तरकरण पारित किया गया हो। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस प्रकरण में दोनों नामान्तरकरण 4436 व 4823 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी है जिससे जाहिर होता है कि एक ही आवंटन आदेश से विपक्षी संख्या 01 को दो बार 3–3 बीघा भूमि नामान्तरकरण से दर्ज रिकार्ड कर दी गयी। इसलिए रेस ज्यूडिकेटा नियम इस प्रकरण पर लागू नहीं होता हैं।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने दोराने बहस बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रकरण मे प्रार्थी की कोई लोकस स्टेण्डाई नही बनती हैं।

विपक्षी संख्या 01 के उक्त कथन का खण्डन पटवारी हल्का पारोली एवं ऑफिस कानूनगो तहसील पारोली की रिपोर्ट से ही हो जाता हैं कि आवंटी रामलाल रेगर को एक आंवटन आदेश संख्या 05/2007 से दो बार, दो अलग अलग वर्षों मे, 3–3 बीघा भूमि का नामान्तरकरण आदेश पारित कर दिया जाता हैं जबकि पश्चात् वाले नामान्तरकरण संख्या 4823 में तो पूर्व आवंटन आदेश 05/2007 की मात्र छायाप्रति संलग्न हैं, किसी भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय/ विभाग का कोई आदेश संलग्न नहीं हैं। अतः फ्रॉड की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकरणों में न्यायालय को सुनवायी हेतु कोई

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर

कानूनी बाध्यता नही होती हैं एवं न ही लोकस स्टेण्डाई का कोई प्रश्न उजर होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वर्ष 2007 एवं वर्ष 2010 में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा एक ही आवंटन आदेश संख्या 05/2007 के आधार पर आवंटी रामलाल रेगर सा. देह के नाम पर दो अलग अलग नामान्तरकरण संख्या क्रमशः 4436 एवं 4823 दर्ज किया गया जो पूर्णतया विधि विपरीत हैं। अतः उक्त आवंटन आदेश संख्या 05/2007 से ग्राम पारोली में पारित पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 4823 दिनांकित 19.12.2010 को खारिज जाना युक्तियुक्त ठहरता हैं। चूंकि दोनो नामान्तरकरण दर्ज करते समय एक ही तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जो कि राजस्व मामलात में एक गंभीर एवं दोषपूर्ण तथा विधि विपरीत कार्यवाही जानबूझकर की जाना स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता हैं। जिससे तत्कालीन पटवार हल्का के विरूद्व अनुशात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु भू अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा को निर्णय प्रति प्रेषित की जाना न्यायोचित ठहरता हैं। उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी संख्या 01 रामलाल रेगर के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 4823 दिनांकित 19.12.2010 को खारिज किया जाता हैं। चूंकि दोनो नामान्तरकरण दर्ज करते समय एक ही तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जो कि राजस्व मामलात में एक गंभीर एवं दोषपूर्ण तथा विधि विपरीत कार्यवाही जानबूझकर की जाना स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता हैं। अतः तत्कालीन पटवार हल्का के विरूद्व अनुशात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु भू अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार कोटडी को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा